न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : 2018/11

1. रामचन्द्र उर्फ चन्दा पुत्र श्री रघुनाथ जाति जाट निवासी ग्राम रामोला (बगरूकलां) तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान।

–वादी–

बनाम

1. तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. नानगराम पुत्र रघुनाथ जाति जाट निवासी–रामोला बगरूकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान

– प्रतिवादीगण –

<u>वाद बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा</u>

दिनांक: 19.01.2021

निर्णय –

वादी की ओर से प्रस्तुत राजस्व वाद का संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार है: वादी ग्राम रामोला (बगरूकलां) तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान का रहने वाला है एवं वादी की खातेदारी की भूमि वाकै ग्राम बगरूकलां पटवार हल्का बगरूकलां भू0अ0नि0 क्षेत्र बगरूकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित आराजी खाता संख्या 631 के खसरा नंबर 3390 रकबा 0.5000 हैक्टेयर, 3402 रकबा 1.6200 है0, 3403 रकबा 0.6300 है0, 3404 रकबा 0.6500 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 3.4000 में वादी का 1/18 हिस्सा, खाता संख्या 1053 के खसरा नंबर 3293/8084 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 3294/8082 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, 3295 रकबा 1.1700 है0, 3296 रकबा 0.6900 है0, 3297/8141 रकबा 0.4900 है0, 3298/8142 रकबा 0.2200 है0, 3299 रकबा 1.0200 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 3.8400 हैक्टेयर में वादी का 1/18 हिस्सा, खाता संख्या 1151 के खसरा नंबर 3217 [illegible] /8107 रकबा 0.3400 हैक्टेयर, 3291/8083 रकबा 0.1100 है0, [illegible] 3389 रकबा 0.1700 है0, 3392 रकबा 0.8700 है0, 3393 रकबा 0.46[illegible] रकबा 0.4600 है0, 3395 रकबा 0.9200 है0, 3396 रकबा 0.8500 है0, 3397 रकबा 0.[illegible] हैक्टेयर, 3405 रकबा 0.6[illegible]

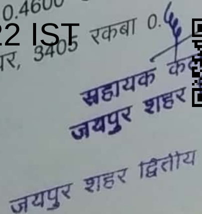

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.11.16 17:15:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

6200 है0, 3406 रकबा 0.5800 है0, 3407 रकबा 0.4200 है0, 3408 रकबा 0.2200 है0, 3409 रकबा 0.6400 है0, 3410 रकबा 0.2000 है0, 3413 रकबा 0.4600 है0, 3414 रकबा 0.2600 है0, 3415 रकबा 1.1000 हैक्टेयर, 3419 रकबा 0.7800 है0, 3421 रकबा 0.4800 कुल किता 22 कुल रकबा 10.8600 हैक्टेयर, खाता सं. 1181 रकबा 3218 रकबा 0.1100 है0, 3221 रकबा 0.1000 है0, 3222 रकबा 0.0200 है0, 3297 रकबा 0.4000 है0, 3391 रकबा 0.1400 है0, 3399 रकबा 0.0100 है0, 3400 रकबा 0.4400 है0, 3401 रकबा 0.0800 है0, 3411 रकबा 0.0400 है0, 3412 रकबा 0.0100 है0, 3416 रकबा 0.6200 है0, 3418 रकबा 0.0900 है0 कुल किता 12 कुल रकबा 2.0600 है0, में वादी का 1/18 हिस्सा है जिस पर वादी काबिज काश्त है। वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में व राशन कार्ड, पहचान पत्र में दर्ज नाम अलग–2 होने के कारण वादी हाल में दिनांक 12.03.2018 को ऋण लेने के लिए बैंक में गया तो बैंक वालो ने कहा की राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में आपका नाम चन्दा पुत्र रघुनाथ दर्ज है जबकि पहचान पत्र व अन्य दस्तावेजो राशन कार्ड वगै. में आपका नाम रामचन्द्र दर्ज है। इसलिए इसको तहसीलदार से दुरूस्त करवा के करावें तब आपको ऋण देगें। तब वादी ने तहसीलदार से प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया तो तहसीलदार महोदय ने राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी एवं प्रार्थी के दस्तावेजो में नाम में गलत आने के वजह से प्रमाण पत्र जारी करने से मना करने के कारण प्रार्थी का वाद प्रस्तुत कर नाम दुरूस्त करवाना आवश्यक हुआ। वादी का नाम रामचन्द्र है जिसको चन्दा भी कहते है। रामचन्द्र का ही उपनाम चन्दा होने के कारण उक्त जमाबंदी में चन्दा दर्ज करवा दिया गया जबकि रामचन्द्र उर्फ चन्दा दो व्यक्ति नही होकर एक ही व्यक्ति है जिसको दोनो नामों से ही जाना व पहचाना जाता है। वादी रामचन्द्र को दोनो नामों से जाना जाने के कारण उसका जमाबंदी में नाम चन्दा हो गया अन्य खातेदारी की भूमि में भी [illegible] का नाम रामचन्द्र पुत्र रघुनाथ ही दर्ज है। रामचन्द्र के पश्चात, राशन कार्ड, बैंक पास बुक, आधार कार्ड आदी सभी में वादी का नाम रामचन्द्र दर्ज है। वाद कारण दिनांक 23.03.2018 को प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा वादी को उसके नाम का प्रमाण पत्र जारी नही करने एवं नाम दुरूस्ती से इंकारी के कारण उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी है जो वाद वादी उत्पन्न होने वाद कारण से अन्दर मियाद पेश है।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 इस अमर का डिक्री फरमाया जावें कि वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 631 के खसरा नंबर 3390 रकबा 0.5000 हैक्टेयर, 3402 रकबा [illegible] है0, 3403 रकबा 0.6300 है0, 3404 रकबा 0.6500 है0 कुल किता 4 कुल रकबा [illegible] हैक्टेयर, खाता संख्या 1053 के खसरा नंबर 3293/8084 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 3294/8082 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, 3295 रकबा 1.1700 है0, 3296 रकबा 0.6900 है0, 3297/8141 रकबा 0.4900 है0, 3298/8142 रकबा 0.2200 है0, 3299 रकबा 1.0200 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 3.[illegible]400 हैक्टेयर खाता संख्या 1151 के खसरा नंबर 3217 रकबा 0.0700 हैक्टेयर,

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.11.16 17:15:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

3290/8107 रकबा 0.3400 हैक्टेयर, 3291/8083 रकबा 0.1100 है0, 3298 रकबा 0.
6200 है0, 3389 रकबा 0.1700 है0, 3392 रकबा 0.8700 है0, 3393 रकबा 0.4600 है0,
3394 रकबा 0.4600 है0, 3395 रकबा 0.9200 है0, 3396 रकबा 0.8500 है0, 3397 रकबा
0.2300 हैक्टेयर, 3405 रकबा 0.6200 है0, 3406 रकबा 0.5800 है0, 3407 रकबा 0.4200
है0, 3408 रकबा 0.2200 है0, 3409 रकबा 0.6400 है0, 3410 रकबा 0.2000 है0, 3413
रकबा 0.4600 है0, 3414 रकबा 0.2600 है0, 3415 रकबा 1.1000 हैक्टेयर, 3419 रकबा 0.
7800 है0, 3421 रकबा 0.4800 कुल किता 22 कुल रकबा 10.8600 हैक्टेयर, खाता सं.
1181 रकबा 3218 रकबा 0.1100 है0, 3221 रकबा 0.1000 है0, 3222 रकबा 0.0200 है0,
3297 रकबा 0.4000 है0, 3391 रकबा 0.1400 है0, 3399 रकबा 0.0100 है0, 3400 रकबा
0.4400 है0, 3401 रकबा 0.0800 है0, 3411 रकबा 0.0400 है0, 3412 रकबा 0.0100 है0,
3416 रकबा 0.6200 है0, 3418 रकबा 0.0900 है0 कुल किता 12 कुल रकबा 2.0600 है0,
में दर्ज वादी के नाम चन्दा पुत्र रघुनाथ के बजाय रामचन्द्र पुत्र रघुनाथ का इन्द्राज
दुरूस्त किया जावें इस आशय का आदेश प्रतिवादी संख्या 01 को जारी हो। प्रतिवादी
संख्या 01 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें कि वह आराजी भूमि में
वादी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में मजाहमत पैदा नही करें वादी को शान्ति पूर्वक
काबिज काश्त रहने दें आराजी भूमि से बेदखल न करें, न करावें।

वकील वादी ने वाद के समर्थन में दस्तावेजात सूची के साथ नकल प्रमाणित प्रति
जमाबंदी हाल सम्वत् 2070 से 2073, असल प्रमाणित प्रति नगर पालिका बगरू, फोटो
प्रति बैंक पासबुक बैंक ऑफ बडौदा, फोटो प्रति पासबुक सहकारी बैंक, फोटो प्रति राशन
कार्ड पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।
प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 2 जरिये
अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया जिसमें
अंकित है कि :– राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार प्रार्थी का एक खाते में नाम रामचन्द्र पुत्र
रघुनाथ व दूसरे में चन्द्रा पुत्र रघनार्थ दर्ज है जो स्वीकार है।

प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जिसमें अंकित है कि :–
वादी को रामचन्द उर्फ चन्दा दोनो नामो से ही जाना जाता है। रामचन्द्र उर्फ चन्दा पुत्र
रूघनाथ दो व्यक्ति नही होकर के एक ही व्यक्ति है। वादी का नाम चन्दा होने से वह
राजकीय सुविधाओ का लाभ नही ले [illegible] नाम को दुरूस्त
करवाना चाहता है। जिसमें मिन प्रतिवादी [illegible] वादी का नाम चन्दा
पुत्र रघुनाथ के बजाय रामचन्द्र पुत्र रघु[illegible] किया जाता है जो
मिन प्रतिवादी जो कि वादी का सहखातेदार भी है जिसको [illegible] आपत्ति ऐजराज नही है।
अतः जवाब दावा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद ड़िक्री किये जाने
में प्रतिवादी को कोई आपत्ति व ऐतराज नहीं है।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.11.16 17:15:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई। वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्ल्यू–1 रामचन्द्र उर्फ चन्दा पुत्र रघुनाथ उम्र 62 वर्ष निवासी ग्राम रामोला (बगरूकलां) तहसील सांगानेर जिला जयपुर, पी.डब्ल्यू–2 लल्लूराम जाट पुत्र श्री गंगाराम जाट उम्र 49 वर्ष निवासी ग्राम रामोला (बगरूकलां) तहसील सांगानेर जिला जयपुर, पी.डब्ल्यू–3 भोलू राम पुत्र श्री गोपीराम उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम बडी का खेडा (बगरूकलां) तहसील सांगानेर जिला जयपुर, पी.डब्ल्यू–4 कजोड पुत्र कल्याण उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम रामोला (बगरूकलां) तहसील सांगानेर जिला जयपुर पेश किये गये। प्रतिवादी ने ज़िरह नही कर बहस अन्तिम हेतु निवेदन किया। वादपत्र पर बहस अन्तिम सुनी गई।

बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात व जवाब दावा अवलोकन किया गया। वादी द्वारा दस्तावेजात सूची के साथ संलग्न दस्तावेज जमाबंदी ग्राम बगरूकलां पटवार हल्का बगरूकलां ए एण्ड बी भू0अ0नि0 क्षेत्र बगरूकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर के खाता संख्या नया 661 पुराना 616 में वादी का नाम चन्दा पुत्र रघुनाथ व खाता संख्या नया 1151 पुराना 1058 में वादी का नाम राचन्द्र पुत्र रघुनाथ दर्ज है। व खाता संख्या नया 1181 पुराना 1088 में वादी का नाम चन्दा पुत्र रघुनाथ दर्ज है। दस्तावेजात सूची के साथ संलगन कार्यालय नगर पालिका मण्ड्ल, बगरू (राज0), अध्यक्ष नगर पालिका बगरू द्वारा दिनांक 29.03.2018 को जारी प्रमाण–पत्र में भी प्रमाणित किया गया है कि रामचन्द्र पुत्र रघुनाथ व चन्दा पुत्र रघुनाथ दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है। यह व्यक्ति दोनो नामो से जाना जाता है। जबकि दस्तावेजात सूची के साथ संलग्न बैंक पासबु प्रति बैंक ऑफ बडौदा, शाखा बगरू, मिनी सहकारी बैंक बगरू जिला जयपुर बचत खाता पास–बुक, परिवार राशन कार्ड संख्या 1298 कोड संख्या 134 उक्त सभी में रामचन्द्र पुत्र रघुनाथ दर्ज है। तहसीलदार सांगानेर ने भी अपने जवाब में अंकित किया है की प्रार्थी का एक खाते में नाम रामचन्द्र पुत्र रघुनाथ व दूसरे में चन्दा पुत्र रघुनाथ दर्ज है। व प्रार्थी के सहखातेदार प्रतिवादी संख्या 2 ने भी अपने जवाब दावे में अंकित किया है कि वादी को रामचन्द उर्फ चन्दा दोनो नामो से ही जाना जाता है। रामचन्द्र उर्फ चन्दा पुत्र रूघनाथ दो व्यक्ति नही होकर के एक ही व्यक्ति है। वादी का नाम चन्दा पुत्र रघुनाथ के बजाय रामचन्द्र पुत्र रघुनाथ का नाम इन्द्राज दुरूस्त किया जाता है तो मिन प्रतिवादी जो कि वादी का सहखातेदार भी है जिसको कोई आपत्ति ऐतराज नही है। वाद पत्र में सलंग्न गवाहो ने भी स्वीकार किया है कि रामचन्द्र पुत्र रघुनाथ व चन्दा पुत्र रघुनाथ दो व्यक्ति नही होकर एक ही व्यक्ति है।

उपरोक्त तथ्यो, दस्तावेजात, जवाब दावों व साक्ष्य ... है कि रामचन्द्र पुत्र रघुनाथ व चन्दा पुत्र रघुनाथ एक ही व्यक्ति है। वादी का ... जात में नाम रामचन्द्र पुत्र रघुनाथ दर्ज है। लेकिन वादग्रस्त आराजीयात ... नया 661 पुराना 616, खाता संख्या नया 1053 पुराना 971, खाता संख्या नया 1181 पुराना 1088 वाकै ग्राम बगरूकलां पटवार हल्का बगरूकलां ए एण्ड बी भू0अ0नि0 क्षेत्र बगरूकलां तहसील

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.11.16 17:15:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

सांगानेर जिला जयपुर में वादी का नाम चन्दा पुत्र रघनाथ दर्ज है। जिसे दुरूस्त किया न्यायोचित समझते है।

अतः वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 स्वीकार किया जाकर तहसीदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात खाता संख्या नया 661 पुराना 616 के खसरा नंबर 3390, 3402, 3403, 3404, खाता संख्या नया 1053 पुराना 971 के खसरा नंबर 3293/8084, 3294/8082, 3295, 3296, 3297/8141, 3298/8142, 3299, 3217, 3290/8107, 3291/8083, 3298, 3389, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3413, 3414, 3415, 3419, 3421, खाता संख्या नया 1181 पुराना 1088 के खसरा नंबर 3218, 3221, 3222, 3297, 3391, 3399, 3400, 3401, 3411, 3412, 3416, 3418 वाकै ग्राम बगरूकलां पटवार हल्का बगरूकलां ए एण्ड बी भू0अ0नि0 क्षेत्र बगरूकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित में वादी का नाम चन्दा पुत्र रघुनाथ के बजाय रामचन्द्र पुत्र रघुनाथ का इन्द्राज दुरूस्त किया जावें। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से खारिज होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 19.01.2021 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.11.16 17:15:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत **सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय)** मुकाम **जयपुर** ब इजलास **श्री विष्णु कुमार गोयल – I (आर.ए.एस.)**

रामचन्द्र **बनाम** तहसीलदार सांगानेर वगै.

वाद बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर – 2018/11

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतेई रूबरू श्री विष्णु कुमार गोयल – I व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू प्रतिवादी मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 स्वीकार किया जाकर तहसीदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात खाता संख्या नया 661 पुराना 616 के खसरा नंबर 3390, 3402, 3403, 3404, खाता संख्या नया 1053 पुराना 971 के खसरा नंबर 3293/8084, 3294/8082, 3295, 3296, 3297/8141, 3298/8142, 3299, 3217, 3290/8107, 3291/8083, 3298, 3389, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3413, 3414, 3415, 3419, 3421, खाता संख्या नया 1181 पुराना 1088 के खसरा नंबर 3218, 3221, 3222, 3297, 3391, 3399, 3400, 3401, 3411, 3412, 3416, 3418 वाकै ग्राम बगरूकलां पटवार हल्का बगरूकलां ए एण्ड बी भू0अ0नि0 क्षेत्र बगरूकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित में वादी का नाम चन्दा पुत्र रघुनाथ के बजाय रामचन्द्र पुत्र रघुनाथ का इन्द्राज दुरूस्त किया जावें। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाती है।

निज ......φ...... मुबलिग ......φ...... बाबत् ......φ......

खर्चा इस मुकद्दमें में मय सूद बशरह ......φ...... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ......φ...... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19.01.2021 को जारी की गई।

मुहर

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

दस्तखत ...... सहायक कलक्टर

ओहदा ...जयपुर...शहर...द्वितीय

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिशनर		
फीस कमिशनर			बाबत इजराय		
बाबत् इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान		00			

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.11.16 17:15:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner